

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक / 110633/07/20

रायपुर, दिनांक .....

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक,  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,  
डब्ल्यू. आर. सी., मानस भवन,  
श्यामला हिल्स, भोपाल

विषय: शैक्षणिक सत्र 2007-08 से डी. एड./बी.एड./एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ/सीट वृद्धि करने हेतु राज्य शासन की सिफारिश।

संदर्भ: आपका पत्र क्रं. WRC/APW06312/723135/2007/C-18569 दिनांक 25/06/07.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा ज्ञानोदय कालेज ऑफ एजुकेशन, अकलतरा रोड, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 415668 को शैक्षणिक सत्र 2007-08 से डी. एड./बी.एड./एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ/सीट वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा सिफारिश/अनुशंसा किया जाता है -

1. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की संबद्धता प्राप्त करना होगा।
2. संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के लोकहित में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार काउंसिलिंग/अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।
4. संस्था को राज्य शासन द्वारा कोई अनुदान/सहायता नहीं दी जायेगी।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार पर्याप्त राशि, भवन, फर्नीचर एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार परिषद् द्वारा किये गये निरीक्षण में पाये गये निम्नलिखित कमियों को दूर करनी होगी -

1  
(बिबियाना तिर्की)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक / 464/10633/07/20

रायपुर, दिनांक ...10/8/07

**प्रतिलिपि:-**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. संचालक, छ.ग. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
4. कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर/गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर
5. प्राचार्य/ प्रबंधक ज्ञानोदय कालेज ऑफ एजुकेशन, अकलतरा रोड, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 415668 को उनके आवेदन पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव 10-8-07

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(निजी/सामग्री)

सचिव

(निजी/सामग्री)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग